

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>फर्द अहकाम (नियम 15) हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज अज अदालत :- जिला कलक्टर, धौलपुर (राज0) अशोक सिघल बनाम लोक सूचना अधि0 (अति0जिला कलक्टर धौलपुर) प्रथम अपील, (मु0संख्या 12/2023) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (जीसीएमएस न0 2023/29)</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये</p>
<p>24.07.2023</p>	<p>अपीलान्त अनुपस्थित। पैरोकार सरकार उपस्थित। अपीलान्त ने यह प्रथम अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलक्टर धौलपुर द्वारा वांछित सूचना समय अवधि में उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण प्रस्तुत की है। लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलक्टर धौलपुर को अपील की प्रति भिजवाई जाकर उनसे टिप्पणी प्राप्त की गई। लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलक्टर धौलपुर ने अपने पत्र क्रमांक: प्रथम अपील/आरटीआई/2023/254 दिनांक 22.06.2023 के द्वारा प्रस्तुत टिप्पणी/रिपोर्ट में अवगत कराया है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत चाही गई सूचना हेतु अपीलार्थी का आवेदन कार्यालय के पत्र क्रमांक/संपर्क/सू.अ./2023/164-165 दिनांक 24.03.2023 से लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी धौलपुर एवं लोक सूचना अधिकारी एवं सहायक कलक्टर मुख्यालय धौलपुर को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के अन्तर्गत आवेदन स्थानान्तरित कर भिजवाया जा चुका है जिसकी सूचना आवेदक को दी जा चुकी है। अपीलार्थी को लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी धौलपुर, लोक सूचना अधिकारी एवं सहायक कलक्टर मुख्यालय धौलपुर द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है।</p> <p>अतः हमने लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलक्टर धौलपुर द्वारा प्रस्तुत टिप्पणी/रिपोर्ट का अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना हेतु अपीलार्थी का आवेदन लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलक्टर धौलपुर कार्यालय के पत्र क्रमांक/संपर्क/सू.अ./2023/164-165 दिनांक 24.03.2023 से लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी धौलपुर, लोक सूचना अधिकारी एवं सहायक कलक्टर मुख्यालय धौलपुर को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के अन्तर्गत आवेदन स्थानान्तरित कर भिजवाया गया है जिसकी सूचना आवेदक को दी जा चुकी है। लोक सूचना अधिकारी एवं सहायक कलक्टर मुख्यालय धौलपुर ने अपने पत्र क्रमांक कोर्ट/2023/172 दिनांक 07.07.23 के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में अवगत कराया है कि अपीलार्थी को इस न्यायालय से सूचना जरिये पत्रांक आरटीआई/2023/118 दिनांक 04.04.2023 के द्वारा उपलब्ध करवा दी गई है जिसके पत्र की प्रति संलग्न कर प्रस्तुत की है। लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी धौलपुर ने अपने</p>	